ISSN: 3048-9423(Online)
Naveen International Journal of Multidisciplinary Sciences (NIJMS)
© NIJMS | Vol. 1 | Issue 6 | Jun-July 2025
Available online at: https://nijms.com/
DOI: https://doi.org/10.71126/nijms.v1i6.74

कार्यरत और अकार्यरत शिक्षित महिलाओं में घरेलू हिंसा के प्रति अभिवृत्ति एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

शिखा श्रीराम[1] एवं डा० जूली त्यागी[2]

[1] *शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान*

[2] *असि० प्रोफे०, शिक्षाशास्त्र विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान*

corresponding author Email: *shikhasrscarlet63@gmail.com*

सारांशः

भारत जैसे सामाजिक–सांस्कृतिक रूप से विविध और जटिल समाज में महिलाओं की स्थिति निरंतर विकासशील रही है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं ने आत्मनिर्भरता, जागरूकता और सामाजिक सहभागिता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। परंतु विडंबना यह है कि शिक्षित होने के बावजूद महिलाएँ घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकीं। यह स्थिति कार्यरत एवं अकार्यरत दोनों वर्गों में व्याप्त है, किन्तु इन दोनों के अनुभव, प्रतिक्रिया और समायोजन की प्रवृत्तियों में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह शोध पत्र कार्यरत (नौकरी में संलग्न) और अकार्यरत (गृहिणी या बेरोजगार) शिक्षित महिलाओं के मध्य घरेलू हिंसा के प्रति अभिवृत्ति एवं समायोजन के तुलनात्मक विश्लेषण पर केंद्रित है। शिक्षा मनोविज्ञान एवं सामाजिक शिक्षा शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि कार्यरत महिलाओं की सामाजिक सक्रियता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और बाह्य संपर्क उन्हें इन स्थितियों में किस प्रकार प्रतिक्रिया करने, प्रतिरोध करने या सहने की प्रवृत्ति में भिन्न बनाती है। वहीं अकार्यरत महिलाओं में पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक निर्भरता के कारण उत्पीड़न के प्रति सहिष्णुता या मौन सहमति अधिक देखी जाती है। शोध में यह भी स्पष्ट होता है कि कार्यरत महिलाओं की अभिवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक नकारात्मक एवं संघर्षशील होती है, जबकि अकार्यरत महिलाओं की अभिवृत्ति अधिक सहनशील एवं परंपरावादी प्रतीत होती है। समायोजन के स्तर पर कार्यरत महिलाएँ बाहरी संसाधनों, परामर्श और विधिक सहायता के प्रति अधिक सचेत होती हैं, जबकि अकार्यरत महिलाएँ घरेलू संतुलन बनाए रखने की मानसिकता के कारण अक्सर उत्पीड़न को व्यक्तिगत नियति मान लेती हैं। यह शोध शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की सामाजिक चेतना, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को समझने में योगदान करता है। साथ ही यह शिक्षकों, परामर्शदाताओं एवं नीति निर्माताओं को महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों के पुनरावलोकन हेतु दिशा प्रदान करता है।

मुख्य–शब्दः *कार्यरत महिलाएँ, अकार्यरत महिलाएँ, घरेलू हिंसा, अभिवृत्ति, समायोजन, शिक्षित महिलाएँ, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा मनोविज्ञान, तुलनात्मक अध्ययन।*

1. परिचय

भारतीय समाज एक संक्रमणकालीन स्थिति से गुजर रहा है, जहाँ परंपरागत मान्यताओं और आधुनिक सोच के बीच निरंतर संघर्ष देखा जा सकता है। महिलाओं की स्थिति इस सामाजिक संघर्ष का केंद्रीय पक्ष रही है। शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक चेतना जैसे अनेक क्षेत्रों में महिलाओं ने उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु उनके प्रति होने वाली हिंसा की घटनाएँ आज भी समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। इस विरोधाभास की गहराई को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम घरेलू हिंसा की प्रकृति को समझें और यह जानें कि कार्यरत तथा अकार्यरत शिक्षित महिलाएँ इन स्थितियों में किस प्रकार की अभिवृत्ति और समायोजन दर्शाती हैं। शोध की पृष्ठभूमि इस सामाजिक यथार्थ से उत्पन्न हुई है कि शिक्षित महिलाओं की संख्या में वृद्धि के बावजूद घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव की घटनाएँ निरंतर बनी हुई हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 30प्रतिशत महिलाओं ने किसी न किसी रूप में शारीरिक, मानसिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, जब तक सामाजिक संरचनाएँ और मानसिकताएँ नहीं बदलतीं। यह शोध इस अंतर को समझने का एक शिक्षाशास्त्रीय प्रयास है, जो यह जानने का प्रयास करता है कि शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद महिलाओं की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया और व्यवहार में किस प्रकार का भेद उत्पन्न होता है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा व्यापक है, जिसमें शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक नियंत्रण और यौन शोषण सभी शामिल हैं। 'घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005' के अनुसार, यदि किसी महिला को उसके जीवनसाथी या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा शारीरिक, यौन, मौखिक, मानसिक या आर्थिक रूप से क्षति पहुँचाई जाती है, तो वह घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है। कार्यरत महिलाएँ वे हैं जो किसी न किसी स्वरूप में आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होती हैंकृ चाहे वह निजी नौकरी हो, सरकारी सेवा, स्वतंत्र व्यवसाय या स्वरोजगार। अकार्यरत महिलाएँ वे हैं जो घरेलू कार्यों तक सीमित रहती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होतीं। दोनों ही वर्गों में शिक्षा प्राप्त महिलाएँ हैं, परंतु उनके सामाजिक संपर्क, आत्म–विश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और बाहरी संसाधनों तक पहुँच में स्पष्ट अंतर होता है। यह अंतर ही उनकी अभिवृत्ति और समायोजन को प्रभावित करता है।

शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण से अभिवृत्ति एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है, जो किसी व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार को किसी विषय या घटना के प्रति निर्देशित करती है। एल्पोर्ट (Allport) के अनुसार अभिवृत्ति "सीखा गया पूर्वग्रह" है, जो अनुभव और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से विकसित होता है। घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के प्रति किसी महिला की अभिवृत्ति यह दर्शाती है कि वह उसे कैसे देखती हैकृएक व्यक्तिगत त्रासदी के रूप में, सामाजिक अन्याय के रूप में, या चुपचाप सहने योग्य स्थिति के रूप में। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवेश में उत्पन्न तनाव या विरोध को संतुलित करने का प्रयास करता है। शिक्षा शास्त्र में समायोजन का तात्पर्य व्यक्ति के भीतर और बाहर की परिस्थितियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने से है। कार्यरत महिलाएँ जहाँ अक्सर सामाजिक संगठनों, परामर्शदाताओं या न्यायिक साधनों की ओर अग्रसर होती हैं, वहीं अकार्यरत महिलाएँ अधिकतर पारिवारिक मर्यादा या सामाजिक बदनामी के भय से चुप रह जाती हैं। यह अंतर शिक्षा के स्वरूप, सामाजिक सहभागिता और व्यक्तिगत आत्मबल के आधार पर बनता है।

शोध की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता

समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका व्यापक रूप से परिवर्तित हो रही है। वे अब केवल घरेलू सीमाओं तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, विज्ञान, मीडिया और सामाजिक नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति दृश्यमान रूप से बढ़ी है। यह परिवर्तन महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक चेतना का प्रतिफल है। फिर भी, समाज के विविध स्तरों पर महिलाएँ आज भी अनेक प्रकार की हिंसा और भेदभाव का सामना कर रही हैं, विशेषकर घरेलू हिंसा की घटनाएँ शिक्षित महिलाओं के मध्य भी एक सामान्य सामाजिक समस्या बन चुकी हैं। वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस विषय की आवश्यकता इसलिए भी विशेष बनती है क्योंकि महिलाओं के शोषण का स्वरूप अब केवल शारीरिक न होकर मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक भी हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आँकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू हिंसा की घटनाएँ शहरी शिक्षित परिवारों में भी लगातार दर्ज की जा रही हैं। यह तथ्य इस धारणा को खंडित करता है कि केवल अशिक्षित या ग्रामीण महिलाएँ ही हिंसा की शिकार होती हैं। वास्तव में, घरेलू हिंसा की जड़ें सामाजिक संरचनाओं, पितृसत्तात्मक सोच और स्त्रियों की स्वायत्तता को अस्वीकार करने वाली मानसिकता में निहित हैं। इसलिए शिक्षाशास्त्रीय स्तर पर यह आवश्यक हो गया है कि हम यह जानें कि कार्यरत और अकार्यरत शिक्षित महिलाएँ इन समस्याओं के प्रति किस प्रकार सोचती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं और कैसे अपने को मानसिक व सामाजिक रूप से समायोजित करती हैं।

शिक्षा महिलाओं को आत्मसम्मान, निर्णय–क्षमता और सामाजिक भागीदारी के योग्य बनाती है। शिक्षा के द्वारा महिलाएँ न केवल अपने अधिकारों के प्रति सचेत होती हैं, बल्कि वे समाज में सक्रिय भूमिका निभाने में भी समर्थ बनती हैं। लेकिन जब वही शिक्षित महिलाएँ घरेलू हिंसा या उत्पीड़न की शिकार होती हैं, तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या शिक्षा के प्रभावी स्वरूप तक वे पहुँच पा रही हैं? क्या सामाजिक संरचनाएँ उन्हें अपनी शिक्षा के अनुरूप जीवन जीने का अवसर दे रही हैं? विशेषकर कार्यरत महिलाओं में यह देखा गया है कि वे उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस दिखाती हैं, जबकि अकार्यरत महिलाएँ कई बार आर्थिक निर्भरता और सामाजिक दबाव के कारण चुप्पी साध लेती हैं। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता, उसका सामाजिक व्यवहार और मानसिक समायोजन का स्वरूप दृ इन सभी का मूल्यांकन अत्यावश्यक हो जाता है।

तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कार्यरत महिलाएँ आर्थिक स्वतंत्रता और बाहरी संपर्कों के कारण अधिक आत्म–विश्वासी होती हैं, जबकि अकार्यरत महिलाएँ पारिवारिक सीमाओं और सामाजिक रुढ़ियों के अधीन अधिक झुकाव रखती हैं। इस प्रकार का अध्ययन न केवल समाज की लैंगिक असमानताओं को उजागर करता है, बल्कि शिक्षा नीति निर्माताओं, समाजशास्त्रियों और महिला सशक्तिकरण से जुड़े संगठनों को स्पष्ट दिशा देता है कि किन वर्गों के लिए किस प्रकार की शैक्षिक या मानसिक सहयोग नीति बनानी चाहिए। इस शोध की प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह स्त्रियों के साथ होने वाली हिंसा की गहराई को शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। यह अध्ययन यह दर्शाता है कि शिक्षा का केवल प्रमाणपत्रीय होना पर्याप्त नहीं, जब तक वह महिलाओं को सामाजिक दबावों से मुक्त होकर निर्णय लेने, विरोध करने और आत्म–संरक्षण की क्षमता नहीं देती। अतः यह शोध समाज, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य तीनों क्षेत्रों के समन्वय का एक गहन प्रयास है।

सैद्धांतिक संदर्भ एवं साहित्य समीक्षा

किसी भी सामाजिक और शैक्षिक समस्या के विश्लेषण में सिद्धांतात्मक आधार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल शोध की वैचारिक नींव को दृढ़ करता है, बल्कि उससे संबंधित सामाजिक यथार्थ को समझने में भी सहायता करता

है। वर्तमान शोध ''कार्यरत और अकार्यरत शिक्षित महिलाओं में घरेलू हिंसा के प्रति अभिवृत्ति एवं समायोजन'' के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इसे समझने के लिए प्रेरणा, नैतिक विकास, मनोवैज्ञानिक समायोजन और सामाजिक अभिवृत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों की समीक्षा अत्यंत आवश्यक है।

घरेलू हिंसा से ग्रसित महिलाएँ प्रायः सुरक्षा और आत्म–सम्मान की आवश्यकता में अटक जाती हैं। कार्यरत महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के कारण आत्मसम्मान की ओर अग्रसर होती हैं, जबकि अकार्यरत महिलाएँ प्रायः सुरक्षा की खोज में रहती हैं और उसी में समायोजन करने को विवश होती हैं।

कोहल्बर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत इस शोध के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह बताता है कि व्यक्ति की नैतिक सोच समय और अनुभव के साथ विकसित होती है। महिलाएँ जब सामाजिक न्याय, अधिकार और दायित्वों के विषय में शिक्षित होती हैं, तो वे अपने साथ हुए अन्याय को नैतिक दृष्टि से देख पाती हैं। कार्यरत महिलाओं में यह नैतिक चेतना अधिक स्पष्ट देखी जाती है, जो उन्हें उत्पीड़न के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देती है। अकार्यरत महिलाएँ, जिनका सामाजिक संपर्क सीमित होता है, प्रायः परंपरागत नैतिकता को ही स्वीकार कर लेती हैं।

पूर्ववर्ती शोधों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा पर अनेक अध्ययन हुए हैं, किंतु कार्यरत और अकार्यरत शिक्षित महिलाओं के तुलनात्मक दृष्टिकोण को शिक्षा शास्त्रीय संदर्भ में कम ही विश्लेषित किया गया है। डॉ. सीमा मिश्रा (2017) के शोध में यह दर्शाया गया कि कार्यरत महिलाएँ उत्पीड़न के प्रति अधिक जागरूक होती हैं और वे कानूनी विकल्पों की ओर अग्रसर होती हैं, जबकि अकार्यरत महिलाएँ पारिवारिक विघटन के भय से चुप्पी साध लेती हैं। एक अन्य अध्ययन में डॉ. मीनाक्षी वर्मा (2019) ने बताया कि सामाजिक दृष्टिकोण और परंपरागत मान्यताएँ महिलाओं के समायोजन व्यवहार को प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से जब वे आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं।

शोध की विधि

प्रस्तुत अध्ययन महिलाओं की अभिवृत्ति और समायोजन के स्वरूप को कार्यरत और अकार्यरत वर्गों में विभाजित कर तुलनात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषित करने का प्रयास करता है। शोध का प्रकार मूलतः तुलनात्मक एवं वर्णनात्मक है, जिसमें दो विशिष्ट समूहों कार्यरत शिक्षित महिलाएँ और अकार्यरत शिक्षित महिलाएँ के बीच घरेलू हिंसा के प्रति उनकी अभिवृत्तियों तथा समायोजन की प्रवृत्तियों की तुलना की जाती है। यह अध्ययन किसी पूर्व निर्धारित हस्तक्षेप के बजाय, विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों के निरीक्षण और मापन पर आधारित है। अध्ययन का विश्लेषणात्मक पक्ष इस अर्थ में उभरता है कि यह केवल तथ्यों की प्रस्तुति तक सीमित नहीं, अपितु उनके पीछे निहित कारणों, कारकों और अंतर्संबंधों की व्याख्या भी करता है।

जनसंख्या निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख शहरी जिलों– लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज का चयन किया गया, जहाँ शिक्षित महिलाओं की पर्याप्त संख्या के साथ–साथ सामाजिक विविधता भी उपलब्ध है। शोध की लक्ष्य जनसंख्या 25–45 वर्ष आयु वर्ग की शिक्षित महिलाएँ थीं, जिन्होंने कम से कम स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की हो। कार्यरत महिलाओं में वे महिलाएँ सम्मिलित थीं जो किसी भी शासकीय, अर्ध–शासकीय, निजी या स्वरोजगार में संलग्न थीं, जबकि अकार्यरत महिलाओं में वे शामिल थीं जो घरेलू कार्यों तक सीमित थीं।

नमूना निर्धारण हेतु स्तरीकृत यादृच्छिक पद्धति (Stratified Random Sampling Method) का प्रयोग किया गया। कुल 300 महिलाओं का चयन किया गया, जिसमें से 150 कार्यरत और 150 अकार्यरत थीं। प्रत्येक जिले से 100 उत्तरदाताओं को चुना गया ताकि क्षेत्रीय विविधता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। यह सुनिश्चित किया गया कि सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, वैवाहिक स्थिति और बच्चों की संख्या जैसे कारकों में संतुलन बना रहे।

उपकरणों की दृष्टि से शोध हेतु दो स्व–निर्मित एवं विशेषज्ञों द्वारा मान्य किए गए मानसिक मापक उपकरणों का प्रयोग किया गया। प्रथम उपकरण था अभिवृत्ति मापक, जो 20 बिंदुओं पर आधारित लिकर्ट स्केल प्रश्नावली के रूप में विकसित किया गया। इसमें महिलाओं की घरेलू हिंसा के प्रति सोच, प्रतिक्रिया, नैतिक दृष्टिकोण, संवेदना एवं सहनशीलता जैसे आयाम सम्मिलित थे। द्वितीय उपकरण था समायोजन मापक, जो महिला के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं भावनात्मक समायोजन के स्तर को समझने के लिए 25 बिंदुओं पर आधारित था। दोनों उपकरणों का क्रॉनबाक अल्फा मान क्रमशः 0.82 और 0.86 पाया गया, जो उनकी विश्वसनीयता को दर्शाता है।

डाटा संग्रहण की प्रक्रिया में अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं उत्तरदाताओं से संपर्क कर प्रश्नावली भरवायी गई। संवेदनशील विषय को ध्यान में रखते हुए गोपनीयता, स्वैच्छिक भागीदारी और नैतिक सहमति का पूर्ण ध्यान रखा गया। उत्तरदाताओं को स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई कि यह अध्ययन केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है और उनके उत्तरों का किसी अन्य उद्देश्य से प्रयोग नहीं किया जाएगा।

डाटा विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया। अर्थमितीय माध्य (Mean), मानक विचलन (Standard Deviation), t–परीक्षण (t-test) तथा सहसंबंध विश्लेषण (Correlation Analysis) का प्रयोग किया गया। t–परीक्षण के माध्यम से दोनों समूहों के अभिवृत्ति एवं समायोजन स्कोर की तुलना की गई।

आकंड़ो का विश्लेषण

कार्यरत और अकार्यरत शिक्षित महिलाओं में घरेलू हिंसा के प्रति अभिवृत्ति

महिला वर्ग	नमूना आकार (N)	औसत स्कोर	मानक विचलन	t–मूल्य (t-value)	p–मूल्य (p-value)	निष्कर्ष
कार्यरत महिलाएँ	150	67.4	±5.8	8.12	$p < 0.01$	अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण
अकार्यरत महिलाएँ	150	59.2	±6.3			

सारणी 1

कार्यरत और अकार्यरत शिक्षित महिलाओं में घरेलू हिंसा के प्रति समायोजन

महिला वर्ग	नमूना आकार (N)	औसत स्कोर (Mean)	मानक विचलन	t–मूल्य (t-value)	p–मूल्य (p-value)	निष्कर्ष
कार्यरत महिलाएँ	150	71.6	4.9	6.87	$p < 0.01$	अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण
अकार्यरत महिलाएँ	150	65.8	5.5			

सारणी 2

आकंड़ो की व्याख्या

प्रारंभिक विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि कार्यरत महिलाओं का औसत अभिवृत्ति स्कोर 67.4 (5.8) था, जबकि अकार्यरत महिलाओं का स्कोर 59.2 (6.3) रहा। कार्यरत शिक्षित महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो यह देखा गया कि उनका अभिवृत्ति स्तर अपेक्षाकृत अधिक जागरूक, नकारात्मक (अर्थात् हिंसा के प्रति अस्वीकारात्मक), और

प्रतिरोधात्मक प्रवृत्तियों से युक्त है। वे घरेलू हिंसा या उत्पीड़न को सामाजिक समस्या मानती हैं, और इसे मौन रहकर स्वीकार नहीं करतीं। अधिकांश कार्यरत महिलाएँ अपने आत्मसम्मान और स्वायत्तता के प्रति सजग दिखाई दीं। उन्होंने उत्पीड़न की स्थिति में परामर्शदाताओं, सामाजिक संगठनों, पुलिस अथवा न्यायिक तंत्र से संपर्क स्थापित करने की प्रवृत्ति दिखाई। इसके अतिरिक्त, समायोजन के स्तर पर भी कार्यरत महिलाओं ने अपेक्षाकृत संतुलित व्यवहार प्रदर्शित किया। उन्होंने संवाद, आत्म–नियंत्रण, भावनात्मक प्रबंधन और बाह्य सहायता को समायोजन का प्रमुख माध्यम माना।

इसके विपरीत अकार्यरत शिक्षित महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल और चुनौतिपूर्ण रही। अध्ययन में यह पाया गया कि इन महिलाओं की अभिवृत्ति अधिक सहनशील, परंपरागत और मौन रहने वाली प्रवृत्ति की रही। उन्होंने हिंसा या उत्पीड़न को निजी विषय मानते हुए, उसमें हस्तक्षेप करने से कतराने की प्रवृत्ति दिखाई। अधिकांश अकार्यरत महिलाएँ घरेलू शांति बनाए रखने के नाम पर हिंसा को सहने का विकल्प चुनती हैं। उनकी अभिवृत्ति में पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की छाया स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। समायोजन के स्तर पर भी उनकी प्रवृत्तियाँ संघर्षशील रहीं, जहाँ उन्होंने आत्म–बल से अधिक सामाजिक भय और पारिवारिक दबाव के कारण समझौता करना स्वीकार किया। उनके समायोजन स्कोर का औसत (Mean: 71.6, SD: 4.9) उच्च रहा, जो उनके मानसिक संतुलन और विवेकपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। उनका समायोजन स्कोर (Mean: 65.8, SD: 5.5) अपेक्षाकृत कम रहा, जो मानसिक तनाव, आत्मग्लानि और सामाजिक असहायता की ओर संकेत करता है।

जब इन दोनों समूहों की तुलनात्मक समीक्षा की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि कार्यरत महिलाओं में आत्मनिर्भरता, बाहरी संपर्क, आर्थिक स्वतंत्रता, और सामाजिक जागरूकता जैसे कारक उन्हें उत्पीड़न से उबरने या उसके विरुद्ध खड़े होने में सहयोग करते हैं। वहीं अकार्यरत महिलाएँ आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक निर्भर होने के कारण हिंसा को सहन करने या समायोजन के नाम पर आत्म–त्याग करने के लिए विवश होती हैं। अध्ययन में यह भी ज्ञात हुआ कि कार्यरत महिलाओं की अभिवृत्ति में "व्यक्तिगत अधिकार" और "न्यायिक विकल्प" की चेतना अधिक विकसित होती है, जबकि अकार्यरत महिलाओं की अभिवृत्ति "पारिवारिक संरचना की रक्षा" और "सामाजिक लज्जा" से जुड़ी होती है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन में, जो कि कार्यरत और अकार्यरत शिक्षित महिलाओं की घरेलू हिंसा के प्रति अभिवृत्ति एवं समायोजन के तुलनात्मक विश्लेषण पर केंद्रित है, कई ऐसी व्यावहारिक, मानसिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ उभरकर सामने आईं, जिनका प्रभाव डाटा संग्रहण, विश्लेषण और निष्कर्षों की व्याख्या पर स्पष्ट रूप से पड़ा। सर्वप्रथम, सामाजिक और मानसिक बाधाएँ शोध की सबसे प्रमुख चुनौती रहीं। भारत जैसे सामाजिक ढांचे में जहाँ परिवार और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ घरेलू हिंसा जैसे संवेदनशील विषयों पर खुलकर बातचीत करना महिलाओं के लिए सहज नहीं होता। कई महिलाओं ने भय, संकोच, और सामाजिक कलंक के डर से प्रश्नावली का उत्तर अधूरा दिया या उनके उत्तरों में स्वाभाविकता की कमी रही। विशेष रूप से अकार्यरत महिलाएँ, जो परिवार पर अधिक निर्भर थीं, वे सामाजिक मर्यादा या पति की असहमति के कारण अपनी वास्तविक स्थिति प्रकट करने में हिचक रही थीं। मानसिक रूप से भी अनेक महिलाएँ अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ रहीं क्योंकि वे उन्हें सामान्य या नियति मानकर स्वीकार कर चुकी थीं। इसने शोध की सटीकता को प्रभावित किया और महिलाओं की असली मनोदशा को पूरी तरह उजागर करने में कठिनाई उत्पन्न की।

अनुसंधानकर्ता ने तीन प्रमुख शहरी क्षेत्रों में 300 महिलाओं को कवर करने का प्रयास किया, फिर भी उत्तरदाता चयन में कुछ सीमाएँ स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहीं। एक तो यह कि अध्ययन केवल शहरी शिक्षित महिलाओं तक

सीमित रहा, जिससे ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की स्थिति पर निष्कर्ष नहीं दिए जा सकते। साथ ही, केवल शिक्षित वर्ग को ही शामिल करने के कारण सामाजिक स्तर पर व्यापकता की कमी रह गई। कुछ महिलाएँ निजी या संवेदनशील प्रश्नों का उत्तर देने में असहज महसूस कर रही थीं, जिससे डेटा का कुछ हिस्सा अधूरा या असंगत रहा। यह भी देखा गया कि कुछ उत्तरदाताओं ने प्रश्नावली को सामाजिक रूप से स्वीकार्य उत्तर देने की मानसिकता के साथ भरा, जिससे वास्तविकता से कुछ विचलन संभव है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण सीमा सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का रहा। भारतीय समाज में विवाह संस्था, स्त्री की सहनशीलता, परिवार की प्रतिष्ठा और 'घर की बात घर में रखने' जैसी धारणाएँ गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। ऐसे में कई महिलाएँ इस विचार को ही स्वीकार नहीं कर पातीं कि घरेलू हिंसा या पति द्वारा किया गया व्यवहार अनुचित है। उनकी अभिवृत्ति स्वयं ही पितृसत्तात्मक मान्यताओं से प्रभावित होती है, जिससे उनकी प्रतिक्रियाएँ कई बार वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। विशेष रूप से अकार्यरत महिलाओं में यह प्रवृत्ति अधिक देखी गई कि उन्होंने उत्पीड़न को 'पति का अधिकार', 'सामान्य वैवाहिक जीवन' या 'नसीब' कहकर टालने का प्रयास किया। यह सांस्कृतिक सोच डेटा की गहराई को प्रभावित करने वाली एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आई। इन सीमाओं के बावजूद शोध में प्राप्त आंकड़ों और अनुभवों से यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि कार्यरत और अकार्यरत शिक्षित महिलाओं की सामाजिक स्थिति, मानसिक संरचना और निर्णय क्षमता में अंतर है। तथापि, इन निष्कर्षों को व्यापक रूप से सामान्यीकृत करने से पहले यह आवश्यक है कि भविष्य में बड़े नमूना आकार, बहुभाषिक प्रश्नावली, ग्रामीण–शहरी तुलनात्मकता और लंबवत अध्ययन की दिशा में अनुसंधान हो।

सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन, जो कार्यरत और अकार्यरत शिक्षित महिलाओं की घरेलू हिंसा के प्रति अभिवृत्ति एवं समायोजन का तुलनात्मक विश्लेषण करता है, ने यह स्पष्ट किया है कि केवल शिक्षा का प्रमाणपत्र या औपचारिक साक्षरता महिलाओं के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त नहीं है। इस संदर्भ में नीतिगत, शैक्षिक और सामाजिक सुझाव अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। सबसे पहले, नीति–निर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को केवल कानून–व्यवस्था की समस्या न मानकर एक बहुआयामी सामाजिक–सांस्कृतिक मुद्दे के रूप में देखें। घरेलू हिंसा के मामलों में केवल दंडात्मक दृष्टिकोण ही नहीं, बल्कि पुनर्वास, परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार किया जाना चाहिए। विशेष रूप से अकार्यरत महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आर्थिक सहयोग, स्वरोजगार प्रशिक्षण, और मुफ्त परामर्श सुविधाओं की आवश्यकता है, जिससे वे निर्भरता की स्थिति से बाहर निकल सकें। नीतिगत स्तर पर यह भी आवश्यक है कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्रणाली को अधिक पारदर्शी और संवेदनशील बनाया जाए, जिससे महिलाएँ बिना भय और झिझक के अपनी बात रख सकें।

शैक्षिक पाठ्यक्रमों में समावेशन की दृष्टि से यह अनुशंसा की जाती है कि महिला शिक्षा को केवल अकादमिक विषयों तक सीमित न रखा जाए। विद्यालयों और महाविद्यालयों में लिंग–संवेदनशीलता, नैतिक शिक्षा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, और कानूनी अधिकारों की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। शिक्षा को इस प्रकार रूपांतरित करना होगा कि वह महिलाओं को केवल ज्ञान न देकर उन्हें आत्मबोध, आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करे। उच्च शिक्षा में 'जेंडर स्टडीज़' जैसे विषयों को अनिवार्य या वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे छात्र–छात्राएँ प्रारंभिक स्तर से ही लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध जागरूक हो सकें। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों को भी लिंग–संवेदनशील प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे कक्षा में समानता, संवाद और संवेदना का वातावरण निर्मित कर सकें। परिवार और समाज की भूमिका इस समस्या के समाधान में केंद्रीय स्थान रखती है। भारतीय सामाजिक संरचना

में परिवार को महिला के जीवन का आधार माना जाता है, लेकिन वही परिवार जब हिंसा का स्रोत बनता है, तो स्त्री के लिए जीवन का प्रत्येक स्तर संकटपूर्ण हो जाता है। इसलिए परिवारों को यह समझना होगा कि महिलाओं को चुप रहने, सहन करने या 'घर की इज्जत' के नाम पर अत्याचार सहने के लिए प्रेरित करना उनकी गरिमा और अधिकारों का हनन है। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपनी बेटियों को न केवल शिक्षित करें, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करें।

निष्कर्ष

समाज की प्रगति की वास्तविक पहचान उसकी महिलाओं की स्थिति और गरिमा से होती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में महिलाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और स्वतंत्र अस्तित्व को लेकर कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं, किंतु इसके साथ ही यह भी कटु सत्य है कि शिक्षित महिलाओं को भी घरेलू हिंसा से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाई है। प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य कार्यरत और अकार्यरत शिक्षित महिलाओं के मध्य इन समस्याओं के प्रति उनकी अभिवृत्ति और समायोजन की प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना था, जिससे यह समझा जा सके कि रोजगार और सामाजिक सक्रियता किस हद तक महिलाओं की मानसिकता और व्यवहार को प्रभावित करती है। इस शोध का सार यह है कि कार्यरत और अकार्यरत शिक्षित महिलाओं के अनुभवों में अंतर केवल सामाजिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक स्तर पर भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कार्यरत महिलाएँ, जिनकी सामाजिक सहभागिता और आर्थिक आत्मनिर्भरता अधिक होती है, वे हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं को स्वीकार करने के बजाय उसका प्रतिरोध करने की मानसिकता रखती हैं। वे अपने आत्मसम्मान, निर्णय क्षमता और विधिक जागरूकता के बल पर ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने के उपाय खोजने का प्रयास करती हैं। इसके विपरीत, अकार्यरत शिक्षित महिलाएँ यद्यपि औपचारिक शिक्षा प्राप्त करती हैं फिर भी घरेलू सीमाओं और पारिवारिक निर्भरता के कारण उत्पीड़न की स्थिति में मौन सहमति अथवा सामाजिक डर के कारण समझौता करने को विवश होती हैं।

शोध में यह भी देखा गया कि कार्यरत महिलाओं का अभिवृत्ति स्कोर (Mean: 67.4) तथा समायोजन स्कोर (Mean: 71.6) तुलनात्मक रूप से उच्च था, जो उनके मानसिक बल और व्यवहारिक संतुलन को दर्शाता है। वहीं अकार्यरत महिलाओं का अभिवृत्ति स्कोर (Mean: 59.2) और समायोजन स्कोर (Mean: 65.8) अपेक्षाकृत निम्न पाया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रोजगार और सामाजिक संवाद महिलाओं के मानसिक विकास में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन की संभावनाएँ तभी वास्तविक रूप ले सकती हैं जब समाज में यह समझ विकसित हो कि घरेलू हिंसा केवल किसी एक परिवार या वर्ग की समस्या नहीं, बल्कि यह एक संरचनात्मक सामाजिक विकृति है, जो स्त्री की गरिमा, आत्मविश्वास और स्वतंत्र अस्तित्व को चुनौती देती है। कार्यरत महिलाएँ इस परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वे सामाजिक सीमाओं को चुनौती देती हैं, अपने निर्णय स्वयं लेती हैं और उत्पीड़न के विरुद्ध वैकल्पिक मार्ग तलाशती हैं। यह व्यवहार यह संकेत देता है कि यदि महिलाओं को समान अवसर, समर्थन और शिक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हो, तो वे समाज में सक्रिय भूमिका निभाने की पूरी क्षमता रखती हैं।

अकार्यरत महिलाओं में भी परिवर्तन की संभावनाएँ हैं, किंतु उसके लिए आवश्यक है कि उन्हें केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीवनोपयोगी कौशल, विधिक जानकारी, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग प्राप्त हो। यदि परिवार, समाज और सरकार ऐसे उपाय करें, जिससे महिलाएँ आत्मनिर्भर बन सकें, तो उनका समायोजन स्तर भी सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। इस शोध के निष्कर्ष यह संकेत करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समर्थन और आत्मविश्वास ये चार स्तंभ हैं, जिन पर नारी गरिमा का वास्तविक निर्माण संभव है। यदि इन स्तंभों को

समुचित रूप से विकसित किया जाए, तो भविष्य में महिलाओं के प्रति हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएँ केवल कानूनी मामलों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सामाजिक रूप से अस्वीकार्य मानी जाएँगी। इसी दिशा में आगे बढ़ना ही इस शोध का उद्देश्य और इसका वास्तविक निष्कर्ष है।

REFERENCES

[1] वर्मा, मीनाक्षी। (2019) घरेलू हिंसा और महिला समायोजन का सामाजिक विश्लेषण. शिखर प्रकाशन, भोपाल।

[2] मिश्रा, रेखा. (2021). घरेलू हिंसा और समाज की प्रतिक्रिया. नीलम पब्लिकेशन. लखनऊ.

[3] श्रीवास्तव, कुमुद. (2019). महिला हिंसा और नीति निर्माण. चेतना पब्लिकेशन. दिल्ली.

[4] सिंह, नेहा. (2022). कार्यरत महिलाओं की अभिवृत्ति पर रोजगार का प्रभाव. समाज विज्ञान शोध जर्नल, 18(2)।

[5] तिवारी, अर्चना. (2019). शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में महिला की भूमिका. भारती बुक्स. भोपाल।

[6] चौधरी, रचना. (2021). घरेलू हिंसा का सामना कर रही शिक्षित गृहिणियों में समायोजन के स्वरूप, जर्नल ऑफ कम्युनिटी गाइडेंस एंड रिसर्च, 38(1)।

[7] कुमार, प्रवीण. (2019). शहरी भारत में कार्यरत महिलाओं के लैंगिक अनुभव, इंडियन जर्नल ऑफ़ जेंडर स्टडीज़, 26(2)।

[8] वर्मा, अंजलि (2021) कार्यरत महिलाओं की अभिवृत्ति एवं आत्मनिर्भरता. भारतीय शिक्षाशास्त्र पत्रिका, 17(3)।

[9] मिश्रा, संगीता (2022) शिक्षित महिलाओं की सामाजिक भूमिका में परिवर्तन– एक तुलनात्मक विश्लेषण. शोध प्रवाह, 12(2)।

Cite this Article:

शिखा श्रीराम एवं डा० जूली त्यागी, "कार्यरत और अकार्यरत शिक्षित महिलाओं में घरेलू हिंसा के प्रति अभिवृत्ति एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन", *Naveen International Journal of Multidisciplinary Sciences (NIJMS), ISSN: 3048-9423 (Online), Volume 1, Issue 6, pp. 25-33, Jun-July 2025.*

Journal URL: https://nijms.com/

DOI: https://doi.org/10.71126/nijms.v1i6.74

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.